भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3035

उत्तर देने की तारीख 13 दिसंबर, 2019

शुक्रवार, 22 अग्रहायण, 1941 (शक)

कौशल विकास प्रशिक्षण

3035. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों को, विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्य असम में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी योजना का शुभारंभ किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कितनी निधि आवंटित की है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषरूप से असम के कितने विद्यार्थियों को विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(घ) उक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के कौशल विकास के लिए अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न स्कीमें नामत: ''सीखो और कमाओ''- अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास स्कीम से संबद्ध तैनाती, परम्परागत शिल्प/कलाओं के संरक्षण के लिए ''विकास हेतु परम्परागत कला/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन'' (यूएसटीटीएडी) और अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को कौशलों से जोड़ने हेतु ''नई मंजिल'' स्कीम चला रहा है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस मंत्रालय को उपर्युक्त स्कीमों के लिए 420 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

(ग) से (च) सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के भावी युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 40 से अधिक कौशल विकास स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। प्रमुख स्कीमें हैं- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण स्कीम (एनईआर) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-20)। उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में कुल 407945 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 243026 उम्मीदवार असम के हैं।

प्रशिक्षण महानिदेशालय, एमएसडीई ने असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास की मौजूदा अवसंरचना में वृद्धि करने के उद्देश्य से 2011 में पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना वृद्धि स्कीम तैयार की है। इस स्कीम को वर्धित कवरेज और 417.93 करोड़ रुपए की लागत से सितंबर, 2018 में संशोधित किया गया है और यह 31 मार्च, 2020 तक जारी रहेगी। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ नए छात्रावासों, चार दीवारी का निर्माण और पुराने तथा अप्रचलित औजारों और उपकरणों को बदलकर 28 आईटीआई में अवसंरचना की कमियों को दूर करने तथा प्रति आईटीआई 3 नए ट्रेड शुरू करके 22 मौजूदा सरकारी आईटीआई का उन्नयन करने के साथ-साथ 34 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु निधियन की परिकल्पना की गई है। इस प्रयोजन के लिए इस स्कीम के तहत आने वाले राज्यों को 180.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान भी है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों के लिए मासिक यात्रा भत्ता और तैनाती पश्चात सहायता का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को 10 प्रतिशत अतिरिक्त लागत का भुगतान भी किया जाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर भारत के अन्य भागों में 20 प्रतिशत आवासीय प्रशिक्षण के साथ अधिकतम 50 प्रतिशत उम्मीदवारों के लिए आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
